मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

मंगलवार, दिनांक 18 जुलाई, 2017 (आषाढ़ 27, शक संवत् 1939)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:03 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 10 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एवं 10) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 92 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 102 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. अध्यक्षीय व्यवस्था
स्थगन प्रस्ताव की प्रक्रिया और परम्परा विषयक

श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष ने आसंदी से आग्रह किया कि कांग्रेस विधायक दल की तरफ से किसानों के मुद्दे को लेकर एक स्थगन प्रस्ताव दिया है, उसे ग्राह्य कर तुरंत चर्चा करवाई जाय. इस पर अध्यक्ष महोदय ने उल्लेख किया कि अभी कार्यसूची में उल्लेखित ध्यानाकर्षण को छोड़कर पद 11 तक औपचारिक कार्य है. अत: इसके बाद में स्थगन प्रस्ताव पर विचार कर लेंगे, ध्यानाकर्षण कल ले सकते हैं

श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने उल्लेख किया कि सामान्यत: नियमों और स्थायी आदेश में भी यह उल्लेख है कि प्रश्नकाल के बाद में तुरंत स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा ली जाती है, इसलिए सरकार का जवाब आ जाय, आप ग्राह्य कर लें. तत्पश्चात् 3 बजे से चर्चा करा लें. अध्यक्ष महोदय द्वारा माननीय सदस्य को अवगत कराया कि अभी तो ग्राह्यता पर कोई निर्णय नहीं हुआ है. ग्राह्य करने के बाद में सामान्यत: 3 बजे उसको लेने की नियमों में व्यवस्था है. हालांकि पूर्व में सीधे भी चर्चा हेतु लिये गये हैं.

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ने आसंदी के माध्यम से इस बहुत महत्वपूर्ण विषय पर स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य कर तुरन्त चर्चा हेतु सहमति व्यक्त की. अध्यक्ष महोदय ने सदन की परम्परानुसार यह सूचित किया कि पहले शासन का उत्तर सुन लें, फिर ग्राह्यता और अग्राह्यता के बारे में चर्चा करेंगे. साथ ही अगर दोनों पक्ष सहमत हों तो पहले औपचारिक कार्यवाही पूरी कर लें. इस पर सदन ने सहमति दी.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार, वन मंत्री ने आसंदी से अनुरोध किया कि पहले स्थगन प्रस्ताव का औपचारिक प्रस्ताव सदन के सामने आये. सामान्य तौर पर प्रक्रिया यह है कि आसंदी से स्थगन प्रस्ताव पढ़ने के बाद शासन का उत्तर आ जायेगा. इसके बाद में अगर ग्राह्यता पर चर्चा करना है तो ग्राह्यता पर करवायें और अगर ग्राह्य करके चर्चा करवाना है तो जैसी कि मुख्यमंत्री महोदय ने सहमति दी है, अभी या 3 बजे, जब आप उचित समझे, हम चर्चा के लिए तैयार हैं. इसके आधे घंटे बाद या 3 बजे हम अन्य कार्य निपटा सकते हैं. श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने आसंदी के निर्देशों पर आपत्ति नहीं करने संबंधी मत व्यक्त किया.

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि - "माननीय नेता प्रतिपक्ष की ओर से यह प्रस्ताव आया था कि चर्चा शुरू कराई जाय. माननीय सदन के नेता ने भी उस पर अपनी सहमति दी है. किन्तु, मैंने दोनों पक्षों से अनुरोध किया कि औपचारिक कार्यवाही के बाद में उस प्रस्ताव को पढ़कर आगे कार्यवाही करेंगे और सदन ने सहमति दे दी है. इसलिए अब उसमें नियम प्रक्रियाओं के उल्लंघन का कोई प्रश्न नहीं है."

3. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया, सदस्य की विधानसभा क्षेत्र दिमनी, जिला मुरैना के सिहौनिया में स्वीकृत तहसील का प्रारंभ न होने,

(2) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार, सदस्य की मुरैना स्थित टाउन हॉल की मरम्मत होने,

(3) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य की रीवा जिले के जवा तहसील में पदस्थ पटवारी द्वारा कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही होने,

(4) श्री मुरलीधर पाटीदार, सदस्य की आगर एवं शाजापुर में कृषक हित संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन किये जाने,

(5) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य की म.प्र. में स्कूल शिक्षा विभाग की ऑनलाईन साईकल वितरण प्रक्रिया में संशोधन किये जाने,

(6) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य की प्रदेश के किसानों में समस्याओं को लेकर घोर असंतोष होने,

(7) श्री सुखेन्द्र सिंह, सदस्य की रीवा की हनुमना नगर पंचायत अंतर्गत बड़कुड़ा पर्यटन स्थल के संरक्षण व संवर्धन किये जाने,

(8) श्री शैलेन्द्र पटेल, सदस्य की भोपाल के रिक्त शासकीय आवासों में असामाजिक तत्वों द्वारा कब्जा किये जाने,

(9) श्री सुन्दरलाल तिवारी, सदस्य की रीवा जिले के रायपुर कर्चुलियान जनपद द्वारा स्टेडियम का निर्माण न किये जाने तथा

(10) सुश्री हिना लिखीराम कावरे, सदस्य की बालाघाट जिले में सहकारी बैंकों को बंद किये जाने,

संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुईं मानी गईं.

4. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना

श्री रामपाल सिंह, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार, निम्नलिखित अध्यादेश पटल पर रखेंगे :-

(1) मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) संशोधन अध्यादेश, 2017 (क्रमांक 1 सन् 2017),

(2) मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन अध्यादेश, 2017 (क्रमांक 2 सन् 2017),

(3) मध्यप्रदेश करों की पुरानी बकाया राशि का समाधान अध्यादेश, 2017 (क्रमांक 3 सन् 2017), तथा

(4) मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अध्यादेश, 2017 (क्रमांक 4 सन् 2017).

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री गौरीशंकर बिसेन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) की वैधानिक आडिट रिपोर्ट, वर्ष 2014-15 (उप संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, जबलपुर (म.प्र.) द्वारा प्रेषित प्रमुख आपत्तियां, स्पष्टीकरण हेतु उत्तर एवं प्रमण्डल की टिप्पिणयां) पटल पर रखी.

(2) श्रीमती माया सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16 (दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2016 तक) पटल पर रखा.

(3) श्री जयभान सिंह पवैया, उच्च शिक्षा मंत्री ने मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 17 सन् 2007) के तहत बनाये गये नियम, 2008 की धारा 22 एवं 23 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा संपरीक्षण रिपोर्ट, वर्ष 2016-17 पटल पर रखे.

6. फरवरी-मई, 2017 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

अध्यक्ष महोदय ने फरवरी-मार्च, 2017 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन पटल पर रखे जाने की घोषणा की.

7. नियम 267 - क के अधीन फरवरी-मई, 2017 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

अध्यक्ष महोदय ने फरवरी-मई, 2017 सत्र में नियम 267-क के अधीन पढ़ी गयी सूचनाओं तथा उनके शासन से प्राप्त उत्तरों का संकलन सदन के पटल पर रखे जाने की घोषणा की.

8. राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विधान सभा के विगत सत्र में पारित 11 विधेयकों को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है. अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम दर्शाने वाले विवरण की प्रतियां माननीय सदस्यों को वितरित कर दी गई हैं. इन विधेयकों के नाम कार्यवाही में मुद्रित किए जाएंगे :-

क्र.	राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयक	अधिनियम क्रमांक
(1)	मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2017 (क्रमांक 4 सन् 2017)	अधिनियम क्रमांक 9 सन् 2017
(2)	मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक – 2) विधेयक, 2017 (क्रमांक 5 सन् 2016)	अधिनियम क्रमांक 10 सन् 2017
(3)	मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 7 सन् 2017)	अधिनियम क्रमांक 11 सन् 2017
(4)	मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन विधेयक, 2017 (क्रमांक 1 सन् 2017)	अधिनियम क्रमांक 12 सन् 2017
(5)	मध्यप्रदेश आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग को आवास गारंटी विधेयक, 2017 (क्रमांक 6 सन् 2017)	अधिनियम क्रमांक 13 सन् 2017
(6)	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 9 सन् 2017)	अधिनियम क्रमांक 14 सन् 2017
(7)	मध्यप्रदेश वेट संशोधन (विधिमान्यकरण) विधेयक, 2017 (क्रमांक 2 सन् 2017)	अधिनियम क्रमांक 15 सन् 2017
(8)	मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 10 सन् 2017)	अधिनियम क्रमांक 16 सन् 2017
(9)	मध्यप्रदेश विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 3 सन् 2017)	अधिनियम क्रमांक 17 सन् 2017
(10)	मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) संशोधन विधेयक, 2017 (क्रमांक 8 सन् 2017)	अधिनियम क्रमांक 18 सन् 2017
(11)	मध्यप्रदेश माल और सेवाकर विधेयक, 2017 (क्रमांक 11 सन् 2017)	अधिनियम क्रमांक 19 सन् 2017

9. अध्यक्षीय घोषणा
ध्यानाकर्षण सचनाएं अगले दिन ली जाने विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सूचित किया गया कि आज की कार्यसूची में उल्लेखित ध्यानाकर्षण की सूचनाएं कल दिनांक 19 जुलाई, 2017 को ली जाएंगी.

10. सभापति तालिका की घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 9 के उपनियम (1) के अधीन, निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम निर्दिष्ट किया गया :-

(1) श्री कैलाश चावला
(2) श्री शंकरलाल तिवारी
(3) श्रीमती नीना विक्रम वर्मा
(4) श्री ओमप्रकाश वीरेन्द्र कुमार सखलेचा
(5) श्री रामनिवास रावत
(6) श्री के.पी. सिंह

11. शासकीय वक्तव्य

श्री लाल सिंह आर्य, राज्यमंत्री, नर्मदा घाटी विकास की अनुपस्थितिवश, श्री भूपेन्द्र सिंह, गृह मंत्री ने दिनांक 24 मार्च, 2017 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 41 (क्रमांक 5453) के उत्तर में संशोधन के संबंध में वक्तव्य दिया.

12. जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के प्रबंध मण्डल हेतु 3 सदस्यों का निर्वाचन

श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया कि :-

"यह सभा उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 (क्रमांक 12 सन् 1963) की धारा 25 की उपधारा (1) के पद (नौ) की अपेक्षानुसार, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के प्रबंध मंडल के लिए राज्य विधान सभा के सदस्यों में से तीन सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हो".

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

13. राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के प्रबंध मण्डल हेतु 3 सदस्यों का निर्वाचन

श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया कि :-

"यह सभा उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (क्रमांक 4 सन् 2009) की धारा 27 की उपधारा (2) के पद (नौ) की अपेक्षानुसार, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के प्रबंध मंडल के लिए राज्य विधान सभा के सदस्यों में से तीन सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों".

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

14. निर्वाचन कार्यक्रम

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि – जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर तथा राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के प्रबंध मंडलों हेतु निर्वाचन का कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

(1) नाम-निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में मंगलवार, दिनांक 18 जुलाई, 2017 को अपराह्न 1.00 बजे तक दिये जा सकते हैं.
(2) नाम-निर्देशन प्रपत्रों की जांच मंगलवार, दिनांक 18 जुलाई, 2017 को अपराह्न 2.00 बजे से विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक 6 में होगी.
(3) उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना मंगलवार, दिनांक 18 जुलाई, 2017 को अपराह्न 3.00 बजे तक इस सचिवालय में दी जा सकती है.
(4) निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान, बुधवार दिनांक 19 जुलाई, 2017 को पूर्वाह्न 11.00 से अपराह्न 3.00 बजे तक होगा.
(5) निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जायेगा.

उपर्युक्त निर्वाचनों हेतु अभ्यर्थियों के नाम प्रस्तावित करने एवं उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय स्थित सूचना कार्यालय के माध्यम से प्राप्त किये जा सकते हैं।"

15. स्थगन प्रस्ताव
प्रदेश के आंदोलनरत किसानों पर लाठी चार्ज एवं गोली चालन होना

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदेश में आंदोलनरत किसानों के ऊपर गोलीचालन होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में स्थगन प्रस्ताव की 47 सूचनाओं को देने वाले सदस्यों के नाम तथा डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की सर्वप्रथम प्राप्त सूचना को पढ़ा गया श्री भूपेन्द्र सिंह, गृह मंत्री ने शासन का वक्तव्य पढ़ा.

अध्यक्ष महोदय ने निर्णय दिया कि – "प्रकरण की गंभीरता तथा महत्व को देखते हुए इसे चर्चा के लिए ग्राह्य करता हूं तथा दोनों पक्षों की सहमति अनुसार इस पर अभी चर्चा प्रारंभ की जाए. इसके साथ ही माननीय सदस्यों से यह अनुरोध है कि प्रकरण में न्यायिक जांच की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, इसलिए इस तरह से चर्चा की जाए ताकि जांच पर कोई प्रभाव न पड़े. साथ ही, कृपया पुनरावृत्ति से बचे जिससे यथाशीघ्र चर्चा पूर्ण हो सके और चर्चा की गंभीरता भी बनी रहे. "

ग्राह्य स्थगन प्रस्ताव पर निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) डॉ. गोविन्द सिंह
(2) श्री गोपाल भार्गव, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री

(अपराह्न 1.30 से 3.03 बजे तक अन्तराल)

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

16. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक मंगलवार, दिनांक 18 जुलाई, 2017 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयकों एवं अन्य कार्यों पर चर्चा के लिये उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है :-

क्रमांक	शासकीय विधेयक	आवंटित समय
1.	मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि (विशेष उपबंध)संशोधन विधेयक,2017 (क्रमांक 12 सन् 2017)	1 घण्टा
2.	मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2017 (क्रमांक 13 सन् 2017)	30 मिनिट
3.	मध्यप्रदेश वासस्थान दखलकार (भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन विधेयक,2017 (क्रमांक 14 सन् 2017)	30 मिनिट
4.	मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक,2017	15 मिनिट
5.	मध्यप्रदेश करों की पुरानी बकाया राशि का समाधान विधेयक, 2017	30 मिनिट
6.	मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2017	30 मिनिट
7.	वर्ष 2017-2018 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण	2 घण्टे

श्री शरद जैन, राज्य मंत्री, संसदीय कार्य ने प्रस्ताव किया कि अभी अध्यक्ष महोदय ने शासकीय विधेयकों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण करने के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़ कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृति देता है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

17. स्थगन प्रस्ताव (क्रमश:)

(3) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा
(4) श्री कैलाश चावला
(5) श्री जितू पटवारी

18. अध्यक्षीय घोषणा
सदन के समय में वृद्धि विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सूचित किया गया कि "नियम 58 के अनुसार स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा सामान्यत: दो घंटे में पूर्ण होती है. इस स्थगन पर दो घंटे चर्चा हो चुकी है परंतु विषय के महत्व की दृष्टि से इस पर चर्चा के समय में सदन की सहमति से वृद्धि की जाती है. इस चर्चा में बोलने वाले दोनों पक्षों के सदस्यों की संख्या काफी अधिक है. प्रकरण के मुख्यत: बिंदु चर्चा में आ चुके हैं पुनरावृत्ति भी हो रही है. अत: माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि संक्षेप में अपनी बात रखें जिससे आज चर्चा पूर्ण हो सके.

19. स्थगन प्रस्ताव (क्रमशः)

(6) श्री बहादुर सिंह चौहान

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(7) श्री रामनिवास रावत
(8) श्री विश्वास सारंग, राज्यमंत्री, सहकारिता

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

(9) श्री मुकेश नायक

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

20. अध्यक्षीय घोषणा
सदन के समय में वृद्धि विषयक

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की.

21. स्थगन प्रस्ताव (क्रमशः)

(10) श्री रामेश्वर शर्मा
(11) श्री के.पी. सिंह

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

(12) श्री हरदीप सिंह डंग

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(13) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया
(14) श्री जयवर्द्धन सिंह

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

(15) श्री बालकृष्ण पाटीदार
(16) श्री शैलेन्द्र पटेल
(17) श्री सुन्दरलाल तिवारी
(18) श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री

22. अध्यक्षीय व्यवस्था
स्थगन प्रस्ताव पर माननीय नेता प्रतिपक्ष का वक्तव्य एवं माननीय मुख्यमंत्री का उत्तर अगले दिन लेने विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से सूचित किया गया कि जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया था कि विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम-58 (1) के अनुसार स्थगन प्रस्ताव पर सामान्यत: 2 घण्टे चर्चा की जाती है, परन्तु विषय की गंभीरता एवं महत्व को देखते हुए इसके समय में वृद्धि कर मध्याह्न 12.40 बजे से चर्चा जारी है. इस विषय पर बोलने वाले दोनों पक्षों के सदस्यों की संख्या अत्यधिक होने से अभी तक 6 घंटे से अधिक चर्चा हो चुकी है तथा दोनों पक्ष के 18 सदस्यों द्वारा सभी तथ्यों पर विस्तार से चर्चा की जा चुकी है. अब समय काफी हो चुका है. अत: इस स्थगन पर माननीय नेता प्रतिपक्ष का वक्तव्य एवं माननीय मुख्यमंत्री का उत्तर कल सदन में आयेगा.

श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष एवं श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव की सूचना देने वाले शेष सदस्यों को भी बोलने की अनुमति प्रदान करने हेतु आसंदी से निवेदन किया गया. आसंदी द्वारा व्यवस्था दी गई कि "किसी विषय पर अनन्तकाल तक चर्चा नहीं हो सकती. आप रिकार्ड उठाकर देख लीजिए. 18 सदस्यों ने बोला उसमें भी रिपीटिशन हुआ है. 22 सदस्य प्रतिपक्ष के और 13 सदस्य सत्तापक्ष के बोलेंगे तो वही बात रिपीट होगी. जो सदस्य उस क्षेत्र से आते थे, उनको बोलने का पूरा अवसर दिया गया. मेरा आपसे अनुरोध है. आप वरिष्ठ सदस्य हैं. विधेयक से लेकर हर विषय की मर्यादा होती है और इसीलिए 2 घंटे का समय बढ़ाकर 6 घंटे कर दिया और कल भी माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय सदन के नेता बोलेंगे. इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सहयोग करें."

सायं 8.02 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 19 जुलाई, 2017 (28 आषाढ़, शक सम्वत् 1939) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

अवधेश प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 18 जुलाई, 2017